शीर्ष प्राथमिकता/तत्काल

संख्या-32/78 /78-1-2014-139आई0टी0/2013

प्रेषक,

बी0पी0 सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
अपट्रान इण्डिया, लखनऊ।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊ: दिनांक 19मार्च, 2014

विषय: अपट्रान इण्डिया लि0 की बन्दी के उपरान्त शेष 35 कर्मचारियों के समायोजन अथवा एक मुश्त समाधान के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-यूआईएल:3211, दिनांक 20-01-2014 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर वांछित सूचना शासन को तत्काल उपलबध कराने का कष्ट करें:-

(1) क्या अपट्रान इण्डिया लि0 के 32 कर्मियों द्वारा वीआरएस हेतु आवेदन किया गया है।

(2) यदि उक्त 32 कर्मी वीआरएस लेने के इच्छुक है तो उन्हें वीआरएस हितलाभों के साथ, बकाया वेतन एवं सीपीएफ के भुगतान हेतु धनराशि की मांग किये जाने का क्या औचित्य है, क्योंकि पूर्व में वीआरएस प्राप्त अपट्रान कर्मियों द्वारा, अपने बकाया वेतन एवं सीपीएफ आदि की वसूली हेतु दायर वादों में, शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में इस आशय के शपथ-पत्र प्रस्तुत है कि अपट्रान कर्मियों को बकाया वेतन/सीपीएफ भुगतान का दायित्व शासन का नहीं है। मा0 उच्च न्यायालय से भी शासन के पक्ष में दि0 26-04-2006 को निर्णय हो चुका है।

2- अत: उक्त वांछित सूचना शासन को कृपया तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि अग्रेतर कार्यवाही किया जाना संभव हो सके।

भवदीय,

(बी0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in